हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नंबर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील मे जारी हुए

राजस्व वाद पत्र संख्या................................/.................. .....उनवान...............................बनाम..........................

09/2/2026 पत्रावली पेश हुई। आज बार एसो. किशनगढ़ द्वारा कार्य का स्थगन रखा गया। अतः पत्रावली P.O. सा. के समक्ष दि. 16/2/2026 को पेश हो।

C.No. 31/2018 खाजू खाँ बनाम सरकार

16/2/26 पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी उप। वकील प्रार्थी की प्रा० पत्र धारा 42 RTA Act बहस सुनी गई।
प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अस्वीकार कर खारिज किया जाता है। विस्तृत आदेश पृथक से तैयार कर पत्रावली में शा. किया। पत्रावली ... ... हो।

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी किशनगढ जिला अजमेर

राजस्व प्रार्थना पत्र संख्या 31/2018

1. खाजू खां पुत्र मांगूस्या उम्र 48 साल जाति मुसलमान निवासी ग्राम खातौली तहसील किशनगढ जिला अजमेर राज.। प्रार्थी

बनाम

राज्य सरकार जरिये तहसीलदार, तहसील किशनगढ़ जिला अजमेर राजस्थान ।

अप्रार्थी

निर्णय प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.का.अधि.

उपस्थित वकील प्रार्थी श्री रामदेव गुर्जर निर्णय दिनांक 16.02.2026

संक्षेप में प्रार्थना पत्र का सार इस प्रकार है कि जरिये अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा निवेदन किया गया कि प्रार्थी ने एक राजस्व वाद माननीय न्यायालय में अन्तर्गत धारा 88, 63, 63(8), 188 राजस्थान काश्तकारी अधिनिमय 1955 के तहत पेश किया गया है जिसमें सफलता मिलने कि पूरी–पूरी सम्भावनाएं है परन्तु वाद के निस्तारण में समय लगना स्वभाविक है इस कारण वाद के साथ यह प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत पेश किया जा रहा है प्रार्थी व प्रार्थी के पुर्वाधिकारी (माता) के कब्जे काश्त व उपयोग–उपभोग की आराजी ग्राम टोंकड़ा पटवार क्षेत्र टोंकड़ा के पूर्व खसरा नम्बर 109 के वर्तमान खसरा नम्बर 106 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा किस्म बारानी द्वितीय व तृतीय है उक्त आराजी में प्रार्थी व प्रार्थी के पूर्वाधिकारी विगत 5–6 दशको से काबिज काश्त करते आ रहे है। उपरोक्त वर्णित आराजी के खातेदार अनायत अलीशाह पुत्र अहमद अलीशाह भारत–पाक विभाजन 1947 के समय बिना विधिक प्रक्रिया अपनाते हुये भारत छोड़कर पाकिस्तान चले गये एवं खातेदार अनायत अलीशाह द्वारा पाकिस्तान कि नागरिकता ग्रहण कर ली गयी है, जिसके प्रमाण के लिये खातेदार अनायत अलीशाह का पाकिस्तान सरकार द्वारा पासपोर्ट जारी किया गया है जिसके नम्बर HD–8/578 दिनांक 01.01.1974 जिसके नम्बर 1019008227 है। जिससे प्रमाण सिद्ध होता है कि खातेदार द्वारा भारत–पाक विभाजन के समय पाकिस्तान जाकर विदेश की नागरिकता ग्रहण कर ली गयी है। खातेदार अनायत अलीशाह द्वारा भारत–पाक विभाजन के समय पाकिस्तान चला गया, ऐसे खातेदारो के लिये राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 कि धारा 63 के तहत अभिधृतियों का निर्वापन (Right of tenancies of extinguished) अर्थात खातेदारी अधिकार समाप्त होकर प्रार्थी में निहित होकर खातेदारी अधिकार परिपक्व हो चुके है। धारा 63 (8) के अनुसार विधि का सिद्वान्त पारित किया गया है कि " कोई भी खातेदार जब वह विधिमान्य पारपत्र अभिप्राप्त किये बिना या विधिपूर्ण प्राधिकार के बिना प्रवास के लिये भारत से विदेश चला जायें" (if tenant migrates from indai to a foreign country without obtaining a velid passport or without lawful authority) और विदेश कि नागरिकता ग्रहण करली गयी हों एवं खातेदार के प्रार्थी के अलावा अन्य कोई विधिक वारिसान भी नहीं है। खातेदार अनायत अलीशाह पुत्र अहमद अलीशाह के प्रश्नगत आराजी सम्वत् 2010 से 2019 की खतौनी बन्दोबस्त में शिकमी मु. 7 साल अंकित है जिसकी कानूनन अवधारण यह है कि सम्वत् 2010 से 2019 की खतौनी बन्दोबस्त से सम्वत् 2075 से करीबन 65 वर्ष होते है एवं विधि के तहत 18 साल से कम उम्र के व्यक्ति के पक्ष में न तो कोई आराजी अलाटमेन्ट / नियमन अथवा विरासतन प्राप्त नही कर सकता है। विरासतन भी प्राप्त करता है तो जरिये संरक्षक के रूप में प्राप्त की जा सकती है। इस प्रकार 18 वर्ष को 65 वर्ष में जोड़ने पर 83 वर्ष हो चुके है इसलिये यह अवधारणा होती है कि खातेदार द्वारा विदेश की नागरिकता प्राप्त होने पर मृत्यु की अवधारणा पुरी होती है। प्रार्थी व प्रार्थी के पूर्वाधिकारी वर्णित आराजी में लगातार कब्जा काश्त चलता आ रहा है। जिसके प्रमाण के लिये अप्रार्थी के कार्यालय प्रत्रांक/भू.प्र./3190 दिनांक 01.07.2016 को पटवारी हल्का टोंकड़ा व हल्का गिरदावर द्वारा पेश

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

गयी रिपोर्ट के पैरा संख्या 2 की चौथी लाईन में अंकित किया गया है कि "वर्तमान में उक्त भुमि पर खातेदार कि बहिन हमीदन जीवित है के वारिसान द्वारा काश्त की जा रही है" अर्थात प्रार्थी का ही उपरोक्त वर्णित आराजी में सतत् रूप से निर्बाध रूप से काबिज काश्त करता आ रहा है। प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी के समक्ष दिनांक 25.09.2017 को प्रश्नगत आराजी में विरासत नामान्तकरण खुलवाने हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसमें अप्रार्थी द्वारा प्रभावी कार्यवाही नहीं करने के कारण श्रीमान् योग्य न्यायालय के समक्ष उद्घोषणा का अलग से वाद पेश किया गया है। जिसमें उक्त प्रार्थना पत्र में पटवारी हल्का द्वारा कार्यलय पत्रांक/भू.अ./17/5193/दिनांक 27.09.2017 को पटवारी हल्का दिनांक 30.10.2017 को प्रार्थना पत्र के बिन्दुवार रिपोर्ट प्रस्तुत कि गयी है उक्त रिपोर्ट के पैरा संख्या 3 में अंकित किया गया है कि "प्रश्नगत भूमि पर वर्तमान में प्रार्थी खाजू खान पुत्र मांगुस्या जाति मुसलमान निवासी खातौली का कब्जा काश्त चला आ रहा है" उक्त रिपोर्ट से भी प्रार्थी का कब्जा काश्त सर्व सिद्ध होता है एवं पटवारी हल्का टोंकड़ा द्वारा मौका पर्चा दिनांक 13.10.2017 में वर्णित किया गया है कि "उपस्थित व्यक्तियों ने बताया कि वर्तमान खसरा नम्बर 106 पर प्रार्थी का कब्जा काश्त चला आ रहा है" इस प्रकार प्रार्थी उपरोक्त आराजी में सतत् रूप से काबिज काश्त रहने से विधिक रूप से खातेदारी अधिकार कि घोषणात्मक डिक्री प्राप्त करने का विधिक अधिकारी है। प्रार्थी के कब्जे काश्त की आराजी निष्क्रान्त सम्पति नहीं है परन्तु पटवारी हल्का द्वारा एवं अप्रार्थी द्वारा अन्य प्रकरणों में ऐसी भूमियों को निष्क्रान्त सम्पति बाबत् कथन अंकित करते है। जबकि किसी भी सक्षम न्यायालय अथवा प्राधिकारी द्वारा आज दिन तक आदेश पारित नहीं किया गया है एवं न ही अधिकार अभिलेख में निष्क्रान्त सम्पति बाबत् टिप्पणी / नोट अंकित नहीं है। यदि उक्त भूमि को निष्क्रान्त सम्तति मान भी लिया जावें तो इस प्रिपेक्ष्य में राजस्थान सरकार राजस्व (ग्रुप–10/पुनर्वास विभाग जयपुर) द्वारा दिनांक 30.03. 2012 को परिपत्र जारी कर काबिज व्यक्तियों को नियमितिकरण शुल्क व शास्ती जमा कराने पर खातेदारी अधिकार प्रदान किये जा सकेगें। इस अनुसार भी प्रार्थी उपरोक्त आराजी में खातेदारी अधिकार प्राप्त करने का प्रथम अधिकारी है। प्रार्थी उपरोक्त आराजी में सतत् रूप से बहेसियत खातेदार काबिज काश्त है अप्रार्थी उपरोक्त आराजी को अन्य व्यक्ति, संस्था के पक्ष में आंवटन/नियमन करने पर आमादा है एवं प्रार्थी के कृषकिय कार्य में व्यवधान उत्पन्न करने पर सतत् रूप से प्रयासरत होने से अप्रार्थी एवं अप्रार्थी के अधिनस्थ कर्मचारियों को इस आशय से पाबन्द किया जाना आवश्यक है कि प्रार्थी के कृषकिय कार्य में व्यवधान उत्पन्न नहीं करे एवं वर्णित आराजी का आंवटन / नियमन अन्य व्यक्ति, संस्था के बारे में अनुशंसा नहीं करे। प्रथम दृष्टया, सुविधा का सन्तुलन, अपूतर्निय क्षति प्रार्थी के पक्ष में सिद्ध है प्रार्थी व प्रार्थी के पूर्वाधिकारी उपरोक्त वर्णित आराजी में बहेसियत काबिज काश्त है। प्रार्थी को वर्णित आराजी से बेदखल कर दिया जाता है तो प्रार्थी को अपुतर्निय क्षति कारित होगी जिसकी पुर्ति करना किसी भी प्रकार से सम्भव नहीं है। प्रार्थी की कब्जे काश्त व उपयोग–उपभोग की आराजी ग्राम टोंकड़ा पटवार क्षेत्र टोंकड़ा के पुराने खसरा नम्बर 109 हाल खसरा नम्बर 106 रकबा 7 बीघा 10 बिस्वा में प्रार्थी के वर्णित आराजी में कृषकिय कार्य में व्यवधान उत्पन्न नहीं करने अथवा उपरोक्त वर्णित आराजी को अन्य व्यक्ति, संस्था को आंवटन/नियमन नहीं करने अथवा अनुशंसा नहीं करने बाबत् अप्रार्थी व अप्रार्थी के अधिनस्थ कर्मचारियों को जरिये अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाने के आदेश प्रदान करावें।

प्रार्थी का प्रार्थना पत्र दिनांक 05.02.2018 को दर्ज किया तथा नोटिस अप्रार्थी को वास्ते जाहिर करने की वजह बाबत जारी किये गये। तहसीलदार किशनगढ द्वारा जवाब प्रार्थना पत्र पेश कर निवेदन किया कि बिन्दु सं. 2 अस्वीकार है कि ग्राम टोंकड़ा की वर्तमान जमाबन्दी संम्वत 2066–69 के खाता सं. 2 मे ख. नं. 106 रकबा 1.2135 हैक्टर पर अनायत अलीशाह पुत्र अहमद अली शाह जाति मुसलमान सा. देह खातेदार दर्ज है। खातेदार अनायत अलीशाह पुत्र अहमद अली शाह जाति मुसलमान द्वारा भारत–पाकिस्तान विभाजन के दोरान पाकिस्तान में चले जाने से उक्त भूमि निष्क्रांत (कस्टोडियन) घोषित की जाकर राज़गामित किया जाना उचित है शेष तथ्य प्रार्थी स्वयं सिद्ध करे। बिन्दु सं. 3 आंशिक स्वीकार है खातेदार अनायत अलीशाह पुत्र अहमद अली शाह जाति मुसलमान द्वारा भारत–पाकिस्तान विभाजन के दोरान पाकिस्तान में चले जाने से उक्त भूमि निष्क्रांत

उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़

स्टोडियन) घोषित की जाकर राजगामित किया जाना उचित है शेष तथ्य प्रार्थी स्वयं सिद्ध करे। बिन्दु सं. 4 अस्वीकार है खातेदार अनायत अलीशाह पुत्र अहमद अली शाह जाति मुसलमान द्वारा भारत–पाकिस्तान विभाजन के दोरान पाकिस्तान में चले जाने से उक्त भूमि निष्क्रांत (कस्टोडियन) घोषित की जाकर राजगामित किया जाना उचित है। प्रार्थनापत्र निष्क्रांत (कस्टोडियन) भूमि से सम्बन्धित होने से ख़ारिज योग्य है ।

दिनांक 16.02.2026 को हमारे द्वारा वकील प्रार्थी एवं पैरोकार सरकार की बहस सुनी गई एवं प्रार्थना पत्र एवं पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का अवलोकन किया गया। हमारे द्वारा धारा 212 राज.का. अधि. के प्रार्थना पत्र का तीन बिन्दुओं पर विवेचन किया गया।

प्रथम दृष्टया प्रकरणः– वादअधीन भूमि में प्रार्थी वर्तमान में खातेदार नहीं है ना ही ऐसा कोई दस्तावेज प्रार्थी के द्वारा पेश किया गया है जिससे वादअधीन भूमि में उसका हक जाहिर हो, जबकि वादअधीन भूमि वर्तमान में ऐसे व्यक्ति के नाम दर्ज है जो कि भारत पाकिस्तान विभाजन के समय भारत को छोड चुका है जिससे प्रथम दृष्टया प्रकरण प्रार्थी के पक्ष में नहीं है।

सुविधा का संतुलनः– वादअधीन भूमि में प्रार्थी की खातेदारी दर्ज नहीं है, वादअधीन भूमि वर्तमान में अन्य व्यक्ति के नाम दर्ज है जिससे सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में नही है।

अपूरणीय क्षतिः– प्रार्थी वादअधीन भूमि में खातेदार नहीं है वादअधीन भूमि अन्य व्यक्ति के नाम दर्ज है तथा राजगामित होने योग्य है, अपूरणिय क्षति प्रार्थी को कारित नहीं है।

प्रार्थी प्रथम दृष्टया प्रकरण, सुविधा का संतुलन एवं अपूरणिय क्षति को सिद्ध करने में असफल रहें है अतः उपर्युक्त विवेचन के आधार प्रार्थी का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राज.का. अधि. का अस्वीकार कर खारिज किया जाता है।

आदेश मेरे द्वारा लिखवाया जाकर आज दिनांक 16.02.2026 को खुले न्यायालय में सुनाया जाकर हस्ताक्षरित किया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो

रजत यादव (आई.ए.एस.)
उपखण्ड अधिकारी
किशनगढ़ (अजमेर)